चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 04.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा अर्की तिराहा पर,थाना पहाड़ी द्वारा आर्यावर्त बैंक में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम भेड़ा के कोलान बस्ती में,थाना बहिलपुरवा द्वारा बहिलपुरवा स्टेशन पर,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में,थाना बरगढ़ द्वारा चंद्रेश इंटर कॉलेज बरगढ़ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 07 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।
थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.अनिल उम्र 34 वर्ष 2.कमलेश उम्र 48 वर्ष 3.रामहित उम्र 58 वर्ष 4.चुनकावन उम्र 50 वर्ष 5.दिलीप उम्र 23 वर्ष 6.शिव प्रताप उम्र 51 वर्ष 7.लवकुश उर्फ पप्पू उम्र 55 वर्ष थाना क्षेत्र पहाड़ी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 1500/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 2460/- रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना पहाड़ी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह
2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव
3.मुख्य आरक्षी ज्ञानस्वरूप मिश्रा
4.आरक्षी बहोरन सिंह
5. आरक्षी संतोष यादव
6.आरक्षी सुशील यादव
7.आरक्षी विवेक यादव

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय, पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ खान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 04.11.2026 को थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2023 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त अवधेश यादव उर्फ देशा पुत्र स्व0 वासुदेव यादव निवासी कोल्हूखेर मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 माह 06 दिवस का कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक

04.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त सीताराम उर्फ जितेन्द्र गुप्ता पुत्र विजय प्रसाद गुप्ता निवासी रत्नावली मार्ग,राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 दिवस का कारावास व 1250/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार सिंह, पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 04.11.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र बलदेव निवासी बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). आज दिनाँक 04.11.2026 को दीपावली मेले की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त,चित्रकूटधाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक,चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, बांदा श्री राजेश एस. द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलिकत गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार की उपस्थिति में आगामी अमावस्या, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा मेले के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट स्थित रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, रैन बसेरा, बैरियर एवं सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था सहित रामायण मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर जनपद चित्रकूट में आयोजित होने वाले दीपावली मेले में लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा श्री अजीत कुमार ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बाँदा के साथ आज रामघाट, परिक्रमा मार्ग, स्थायी एवं अस्थायी रैन बसेरों तथा पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंदाकिनी नदी के घाटों पर पत्थर लगाने, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने एवं प्रकाश व्यवस्था के कार्य प्रगतिरत पाए गए। आयुक्त महोदय ने घाट पर पत्थर लगाने के कार्य में अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्य की गति बढ़ाने तथा समस्त अवशेष कार्य दीपावली मेले से पूर्व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। रामघाट एवं प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग करते हुए श्रद्धालुओं की कतारें जिग-जैग पद्धति से व्यवस्थित की जाएं। घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि खोया-पाया केन्द्र, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पीए सिस्टम) एवं मेला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें। मेला क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय टीम एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

यातायात व्यवस्था के संबंध में आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर एवं रेलवे प्रशासन से समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं को स्टेशन तक सुगमतापूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार यातायात

डायवर्जन प्लान तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार कराया जाए। पार्किंग स्थलों पर वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग के साथ प्रत्येक प्रमुख पार्किंग स्थल पर एक क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

आयुक्त महोदय ने स्थायी एवं अस्थायी रैन बसेरों में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्रकाश एवं साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मेला क्षेत्र एवं परिक्रमा मार्ग में नियमित साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण तथा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके।

अन्त में आयुक्त महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेला प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं तथा अधिकारी स्वयं नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए दीपावली मेले को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(7). दीपावली अमावस्या मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षा का एहसास कराने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पुलिस एवं रेलवे पुलिस बल के साथ कर्वी शहर के प्रमुख चौराहों एवं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पैदल गश्त की गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा धनुष चौराहा से धतुरहा चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन रोड तक पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने आमजन एवं व्यापारियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा दुकानों के बाहर सड़क तक सामान फैलाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों एवं ठेला व्यवसायियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समझाया कि मेला अवधि के दौरान रेलवे स्टेशन रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए, जिससे आवागमन बाधित न हो तथा श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पैदल गश्त के उपरान्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं तलाशी ली गई तथा जीआरपी एवं आरपीएफ के प्रभारियों को रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाने तथा सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि दीपावली अमावस्या मेला अवधि में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिसकर्मी पूर्ण सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

चित्रकूट पुलिस श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा, सुगम आवागमन तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।